कार्यालय : **असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।**

Etender : 540 Dt. 10.2.2024

पुर्न अति–अल्पकालीन – निविदा सूचना (5th call)

सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए 23–24 में दो अदद इको एम्बुलेंस की आवश्यकता है। जिसके लिए निबंधित निर्माणकर्ता/प्रतिष्ठानों/एजेंसियों से दिनांक 23.2.2024 के अपराह्न 5.00 बजे तक पुर्न –निविदा आमंत्रित किया जाता है। पुर्न –निविदा से तकनीकि विवरण/स्पेशिफिकेशन/संबंधित नियम/शर्त आदि www.sadarhospital.com पर दिनांक 13.2.2024 से देखा जा सकता है। पुर्न –निविदा से संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन /शुद्धि पत्र www.sadarhospital.com पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

PR 316170 HEALTH MED EDU & FAMILY WELFARE (23-24) # D

10.2.24

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,राँची।

10.2.24

एम्बुलेंस के पुर्न निविदा का तकनीकी भाग :–

पुर्न निविदा के तकनीकी भाग में निम्नांकित अभिलेख सर्मपित करना अनिवार्य होगा।

1. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। (G.S.T Registration Certificate)
2. जी0एस0टी0 का रिटर्न प्रतिवेदन(GSTR 3 B) माह दिसम्बर 2023 का संलग्न करना होगा।
3. आयकर कार्ड (पेन कार्ड) (Pan Card by Income Tax Department)
4. निर्माता कंपनी/ विक्रेता, निविदादाता एवं एजेन्सी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना होगा कि उनकी कंपनी/संस्थान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अनुषांगीक इकाई द्वारा काली सूची में नहीं है।
5. निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 & 2021-2022 के प्रत्येक वर्ष 5,00,000.00 (पॉच लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए । इससे संबंधित सी.ए. का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता के द्वारा वित्तिय वर्ष (Financial year) 2019-20, 2020-21 & 2021-2022 का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. Produce Technical Specification along with Company Name with Make – Example Given Below : -

क्र0सं0	मशीन उपकरण का नाम	निर्माता कंपनी का नाम
1	AMBULANCE	A/B/C/D

अन्य शर्तें :–

1. बिना कारण बतायें निविदा को आंशिक या पूर्ण रद्द करने का सर्वाधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
2. इस निविदा के आधार पर निर्धारित दर कम से कम एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
3. मुल्य सूची में स्पेसिफिकेषन, मेक, ईकाई स्पष्ट रुप से अंकित होना चाहिए।
4. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।
5. निविदा, निविदा के द्वारा ही मान्य होगा।
6. इको एम्बुलेंस का दर **सभी करों सहित मूल्य अंकित** करेगें।
7. क्रयादेश प्राप्ति के 21 दिनों के अंदर आदेशित एम्बुलेंस आदेशित संस्थान में आपूर्ति करना होगा तथा निर्धारित समय के अन्तराल में आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में जिला क्रय समिति द्वारा काली सूची में डालने, की कारवाई की जाएगी या जिला क्रय समिति द्वारा निर्णय के आलोक में जो दण्ड पारित होगा।
8. एम्बुलेंस विषेश परिस्थिति में Short & Notice पर भी आपूर्ति करना होगा। इंस्टॉलेशन राँची जिला के विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों में जाकर करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. जिला क्रय समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
10. निविदा से संबंधित तकनीकि विवरण/स्पेशिफिकेशन/संबंधित नियम/शर्त आदि website www.sadarhospital.com पर जा सकता है। निविदा से संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन /शुद्धि पत्र www.sadarhospital.com पर ही देखा जा सकता है।
11. निविदा के तकनिकी भाग में अर्हता प्राप्त करने पर ही वितीय भाग खोली जाएगी।
12. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति किये जाने वाले एम्बुलेंस का कम से कम एक वर्षो का कम्प्लसरी वारन्टी अनिवार्य होगा।

10.2.24 10.2.24 10.2.24

13. निविदादाता द्वारा दी गयी एम्बुलेंस की आपूर्ति करने के पष्चात् यदि भविष्य में स्पेषिफिकेषन के अनुरूप नहीं पाये जाने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होगें तथा उनके विरूद्ध कानूनी कारवाई की जाएगी।
14. दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने पर किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवारी संबंधित आपूर्तिकर्ता की होगी तथा भुगतान की कार्रवाई रोक दी जाएगी।
15. एम्बुलेंस की गुणवत्ता को देखते हुए सुसंगत नियमों एवं संबधित पदाधिकारी के जॉचोपरांत विधिवत प्रतिवेदन के पश्चात कार्यो में उपयोग किया जाएगा।
16. किसी भी निविदाकार के यंत्र–संयत्र एवं बिड क्षमता के मापदंडों पर प्रत्येक में सक्षम होने पर की टेकनिकल योग्यता पर विचार किया जाएगा।
17. जिस निविदादाता का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा कार्यान्वयन संतोषजनक नही रहा है उन्हें कार्य आवंटित करने पर विचार नही किया जाएगा।
18. किसी भी आपूर्तिकर्ता को कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट करना निविदा शर्त का उल्लधंन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त हाने पर निविदा रद्द करते हुए आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने की कारवाई की जाएगी।
19. आपूर्तिकर्ता को एम्बुलेंस का प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। जिसके लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा।
20. एम्बुलेंस का पंजीकरण एवं बीमा कराने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। इसके लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा।

Annexure -1

निविदादाता का विवरण –

निविदादाता का नाम	
पता	
E-mail id	
Mobile no.With Wathsapp	

Annexure -2

वित्तीय भाग –

Sl No.	Ambulance Details	Quantity	Rate With all taxes , Insurance , Registration and others.
1	Ecco ambulance (Specification Attached	Each	

एम्बुलेंस में दिये जाने वाले उपकरण का विवरण –

Ecco ambulance	एम्बुलेंस में दिये जाने वाले उपकरण का विवरण अंकित करेंगें।

10.2.24

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

10.2.24